

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-ई-20 / M-16/Nursing/Ajmer/-25960 / 2024 / 81

दिनांक:- 20/02/2024

—: आदेश :-

श्रीमती माला मिश्रा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र ढावा, खण्ड मेड़तासिटी जिला नागौर जिनकी जन्म तिथि 07.10.1970 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.11.1994 है, को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 04.07.2024 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। इनका स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिवस अकार्य दिवस माना जावेगा।

कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रियाकी कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(सुरेश नवल)

निदेशक(अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 20/02/2024

क्रमांक:-ई-20 / M-16/Nursing/Ajmer/-25960 / 2024 / 81

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेन्शन एवं पेन्शनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेड़तासिटी, नागौर।
4. श्रीमती माला मिश्रा, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग), मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5680136

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval

Designation: Director

Date :20-02-2024 11:29:00